बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25 / 2025.5378.....पटना, दिनांक :– 25/08/2025

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 1196 दिनांक 18.08.2025 द्वारा श्रीमती रौशन आरा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12982) के विरूद्ध तथाकथित विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 16.08.2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करने एवं अन्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सरकार के विरूद्ध भ्रमित कर हड़ताल पर जाने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 4502 दिनांक 18.08.2025 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा अपने अनुचित मांगो के समर्थन में तर्कहीन, बेबुनियाद एवं अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विदित हो कि अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2786(9A) दिनांक 29.07.2025 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग / सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग / अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आमजनों / रैयतों के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 16.08.2025 से राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें इनकी भी भूमिका निर्धारित की गयी थी।

उक्त महाअभियान प्रारंभ होने की तिथि से ही तथाकथित विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ के तथाकथित अध्यक्ष की हैसियत से अपने अनुचित मांगो यथा सेवा नियमित करने, धारित पद को सहायक अभियंता (AE) / कनीय अभियंता, असैनिक (JE) / उच्चवर्गीय लिपिक(UDC) के नियमित नियुक्ति में 05 अंक की अधिमानता तदनुसार समतुल्य वेतन देने के साथ ESIC आदि को लेकर हड़ताल का आह्वान किया गया।

इनके मांगो के संदर्भ में स्थिति यह है कि इनका नियोजन बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के तहत हुई है। उल्लेखनीय है कि नियमावली के अनुरूप प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है, उससे स्पष्ट है कि पदों का सृजन संविदा आधारित है तथा पदों का नाम विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी / विशेष सर्वेक्षण कानूनगो / विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन पदनाम कर्णांकित है, जो एक निश्चित अवधि तक (यथा योजना अवधि तक) के लिए ही किया गया है। नियोजन के पूर्व इनके द्वारा **Terms of Assignment** हस्ताक्षरित किया गया है, जिसकी कंडिका–1(ii) में स्पष्ट रूप से "This is a time bound engagement on contract and the personnel cannot and will not claim for any extension or even permanent employment" एवं कंडिका–5(ii) में भी "At no stage you should claim permanent employment with the government" अंकित है। एतद् संबंधी घोषणा इनके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से स्वयं हस्ताक्षरित कर दिया गया है, जिसमें यह भी अंकित है कि "Terms of Assignment की सभी कंडिकाओं को पढ़ व समझ लिया हूँ और मैं Terms of Assignment में लिखी गयी सभी कंडिकाओं को स्वीकार करता हूँ"।

इससे स्पष्ट है कि राज्य के सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सरकार के विरूद्ध भ्रमित करते हुए हड़ताल में जाने हेतु उकसाया गया है। जबकि ये अवगत हैं कि महाअभियान आमजनों की समस्याओं के समाधान हेतु संचालित किया गया है, इसके बावजूद सोची समझी तैयारी के तहत सरकार के महत्वाकांक्षी महाअभियान में बाधा उत्पन्न करने का इनके द्वारा असफल प्रयास किया गया है।

विदित हो कि तथाकथित संघ के तथाकथित प्रतिनिधि मंडल द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर अपने मांगो से अवगत कराया गया था, जिसके संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि आपका संघ कर्मचारी संघ के रूप में वैध नहीं है एवं आपके द्वारा जिन मांगो को रखा जा रहा है, वह विभाग द्वारा संविदा नियोजन हेतु प्रावधानित नियमावली के अनुरूप नहीं है तथा आपका मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। साथ ही साथ इन्हें यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.08.2025 से राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपकी सहभागिता निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि निदेशालय पत्रांक 4499 दिनांक 14.08.2025 द्वारा पूर्व में ही इन्हें तथाकथित संघ की मान्यता तथा हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने की हिदायत दी गयी थी, क्योकि इनके तथाकथित संघ की मान्यता विधि द्वारा स्थापित नियम के विपरीत है। किसी भी सरकारी कर्मियों के लिए संघ की मान्यता मंत्रिमंडल सचिवालय स्तर पर निर्धारित होती है। इनके द्वारा निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेद्य विभाग द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत निबंधित कराकर संघ का गठन किया गया है एवं तथाकथित अध्यक्ष के नाते संविदा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को हड़ताल में जाने हेतु आह्वान करते हुए धरना प्रदर्शन में भाग लिया गया है।

श्रीमती आरा का संविदा के आधार पर जुलाई, 2024 में नियोजन किया गया है। नियोजन के उपरांत इनके कार्यो का आकलन निदेशालय स्तर पर संधारित वेबसाईट पर अपलोडेड MIS के आधार पर किया गया है। अवलोकनोपरांत पाया गया कि इनका कार्य भी संतोषजनक नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचनोपरांत पाया गया कि ये तथाकथित संघ जिसकी कोई सक्षम प्राधिकार से मान्यता नहीं है, के आधार पर संघ के तथाकथित अध्यक्ष के रूप में इनके द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है एवं अन्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को भी हड़ताल में जाने हेतु उकसाया गया है। साथ ही विशेष सर्वेक्षण कार्यो में भी इनकी प्रगति अपेक्षा से विपरीत है जबकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है। साथ ही साथ इनका नियोजन मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अस्थायी संविदा के पद पर किया गया है एवं इनके द्वारा नियोजन में Terms of Assignment पर भी हस्ताक्षर किया गया है, जिसके लिए इनके द्वारा शपथ पत्र भी समर्पित किया गया है। **इसके बावजूद भी संविदा पद को नियमित करने, पदनाम बदलने आदि जैसी मांग किया जाना इनके द्वारा समर्पित प्रतिशपथ पत्र का उल्लंघन है। हस्ताक्षरित शपथ पत्र समर्पित करने के बावजूद मात्र 01 वर्ष के अन्दर ही सरकारी कार्यो को सिखने तथा निष्पादित करने के बजाए अनुचित मांगों के साथ सरकार की जनसरोकार एवं जनकल्याणकारी योजना में बाधा पहुँचाने जैसा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है एवं ये अपने कार्यो एवं सरकार द्वारा सौंपे गये दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है।** साथ ही साथ इनका मांग प्रावधानित नियमावली एवं समर्पित शपथ पत्र के विपरीत है, जिसको मान्य नहीं किया जा सकता है। **उपरोक्त से स्पष्ट है कि** इनका आचरण कार्य के प्रति लापरवाही, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, संविदा नियोजन हेतु निर्गत सुसंगत नियमो के विपरीत कार्य करना एवं स्वेच्छाचारिता तथा मनमानेपन का परिचायक है। **यदि इनकी सेवा बनाए रखी जाती है, तो भविष्य में भी इनके द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति की जाएगी।**

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्रीमती रौशन आरा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12982) का संविदा नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है।

25/8

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25 / 2025 5378 **पटना, दिनांक** :– 25/08/2025

प्रतिलिपि :– श्रीमती रौशन आरा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12982), बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25 / 2025 5378 **पटना, दिनांक** :– 25/08/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25 / 2025 5378 **पटना, दिनांक** :– 25/08/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/8

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप